मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 9502–4 जी0एस0–II–75/24167 दिनांक, 7 अगस्त, 1975 की प्रति।

विषय : परिवार नियोजन प्रोग्राम—विशेष आकस्मिक छुट्टी ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के पत्र क्रमांक 8488–2 जी0एस0–II–72/4165 दिनांक 13 फरवरी, 1973 की ओर दिलाऊं जिस के द्वारा सरकार ने यह निर्णय लिया था कि उन सरकारी कर्मचारियों को छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाये जो नसबन्दी आपरेशन करवाते हैं । परन्तु सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई कर्मचारी नसबन्दी आपरेशन करवाता है और उसके फेल हो जाने से यह आपरेशन उसे दोबारा करवाना पड़ता है तो उस सूरत में उसे छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पुनः दिया जाए । यह छुट्टी चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जायेगी । इस प्रकार का लाभ कन्टीनजेंट पेड स्टाफ को भी मिलेगा ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति :—

वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिवों, को सूचनार्थ भेजी जाती है ।